न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 07 / 14

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री जसराज परिहार पुत्र श्री गणपतलाल परिहार (एफबीओ / मालिक) फर्म राधिका सेल्स एजेन्सी, 5 / 6 हेवी औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर। निवासी 46–ए अशोक नगर महामंदिर, जोधपुर। 2. श्री रमेश सिंह रावत, क्वालिटी एश्योरेंस, मैनेजर, नोमिनी, (नोमिनी) मैसर्स हिन्दूस्तान कोकाकोला बेवरेंज प्रा.लि. एस. पी. 39–40 रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, चौमू राज। 3. हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेज प्रा.लि. एस.पी. 39–40, रिको इण्स्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, चौमू, राज. (निर्माता फर्म)

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.08.2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स राधिका सेल्स ऐजेन्सी के गोदाम, 5 / 6 हेवी औद्योगिक क्षेत्र, बासनी जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान 24 प्लास्टिक पैक में फ्रूट ड्रिंक पल्पी औरेंज मिनिट मेड प्रत्येक 40 एम.एल. की बोतल आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त फ्रूट ड्रिंक पल्पी औरेंज मिनिट मेड प्रत्येक 40 एम.एल. की 8 पैक प्लास्टिक की बोतल नमूना संख्या एडी–136 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 199 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा बेसन के लड्डू के चारों पैकेट्स पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–136 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–136 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–600 सील चपड़ी किया उसका सोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि ड्रिंक पल्पी औरेंज

मिनिट मेड प्रत्येक 40 एम.एल. की 8 पैक प्लास्टिक की बोतल के चारों नमूना पैकेट्स को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–136 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/422/एक्ट/2013/427 दिनांक 06.09.2013 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जाँच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–136 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 बार बार अनेक अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया अतः अप्रार्थी संख्या 1 जवाब बंद किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश किया जिसमें उन्होने प्रकरण की कार्यवाही में संबंध में अपनी आपत्तियाँ पेश की। जिसका जवाब खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किया। बाद अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से बहस की गई जो निम्न आधार पर खारिज की गई :–

"वकील पक्षकार उपस्थित, प्रारम्भिक आक्षेप प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 एवं एफएसओ के जवाब दिनांक 092.2016 पर विस्तृत बहस सुनी गई। वकील पक्षकार द्वारा मुख्यतः परिवादी संख्या 2 व 3 को मौका नहीं दिए जाने तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, जोधपुर की फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के रेग्युलेशन 2011 नं. 2.2.2 (5)(।।।) के संबंध में कॉमन नेम लेवल पर देना आवश्यक नहीं होने की बात कही एवं जिसके तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

एफएसओ द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं परिवादी संख्या 1 से 3 को दी गई सूचना एवं प्रस्तुत जवाब दिनांक 09.02.2016 का अवलोकन किया, जवाब एवं पत्रावली में परिवादी संख्या 2 व 3 को दिनांक 04.12.2013 व 06.01.2014 को सूचना दी गई है। परिवादी संख्या 1 को नमूने की जांच रिपोर्ट की सूचना देना ही पर्याप्त है उक्त अवधि के 1 माह के भीतर उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत डी ओ के समक्ष अपील करनी चाहिए थी जो उन्होंने न की और न ही आवेदन किया तथ एफबीओ को फार्म वीए में लिखित नोटिस दिया गया परिवादी 2 व 3 को पत्र लिखे गए परन्तु जांच हेतु कोई अपील नहीं की गयी तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेवलिंग रेग्युलेशन) 2011 के विनियम 2.2.2(5)(।।) के तहत अगर कोई एफबीओ एक्सारनियम बाय रंग एवं फलेवरिंग मेटल काम में लेता है तो इसकी लेबल पर देना जरूरी है।

वकील पक्षकार की बहस, एफबीओ के जवाब व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात मै इस विवेचन पर पहुँची हूँ की नमूने की रिपोर्ट की सूचना व परिवादी एक को दी गई व 2 व 3 को भी पत्र लिखा गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी 1 व 2 को नमून की जानकारी हो गई तथा एसी स्थिती में उन्हे एक माह के भीतर अपील हेतु आवेदन किया जाना चाहिए था जो उन्होने नहीं किया। एक माह व्यतीत हो जाने के पश्चात 24.02.2014 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है, व पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री जोधुपर की फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट दिनांक 06.09.2013 से मैं सहमत हूँ जिसके अनुसार निर्माता को पैकेजिंग एवं लेवलिंग रेगुलेशन के तहत सूचना खाद्य पदार्थ के पैकेट पर देना आवश्यक थी जो उन्होंने नहीं दी है ऐसी स्थिती में अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 को आदेश दिनांक 06.05.2016 को खारिज किया गया।"

अप्रार्थीगण ने पुनः प्रार्थना पेश का एफएसओ को बहस हेतु उपस्थित होने हेतु निवेदन किया। इस हेतु एफएसओ को तलब कर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2017 पर बहस की गई। बहस सुनी गई एफएसओ को सुना गया मनन के पश्चात वकील अप्रार्थी द्वारा फूड ऐनेलेसिस्ट को माननीय न्यायालय में साक्ष्य हेतु बुलाया जाना आवश्यक नहीं समझती हूँ क्योंकि वे यदि रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो उनके पास खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के तहत एक माह में डी.ओ. के पास अपील करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र की यह मांगी की फूड ऐनेलेसिस्ट को साक्ष्य हेतु कॉर्ट में बुलाया जावे खारिज की जाती है तथा एफएसओं को प्रार्थना पत्र की प्रति दी जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की हिदायत दी

गई। एफएसओ ने दिनांक 25.07.2017 को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अप्रार्थी के अधिवक्ता को पेशी दिनांक 27.07.2017 को दी जाकर पत्रावली वास्ते अंतिम बहस रखी गई।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ का जवाब व जिरह के अलावा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस पेश की व तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के जवाब का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गई मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण 1 से 3 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 के दोषी हैं। यदि वे पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस्ट रिपोर्ट दिनांक 06.09.2013 के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकता था। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थीगण 1 से 3 ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की न ही न्यायालय हाजा में बहस हेतु पेश प्रस्तुत हुवे अतः मैं फूड ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 51 व 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थीगण 1 पर रूपये 25000/- अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र व 2 से 3 पर रूपये 25000/- अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र प्रत्येक की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ..... के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11/9/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर
दिनांक 11.09.2017

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2017/1929–1933

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर।
03. श्री जसराज परिहार पुत्र श्री गणपतलाल परिहार (एफबीओ/मालिक) फर्म राधिका रोल्स एजेन्सी, 5/6 हेवी औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर। निवासी 46–ए अशोर्क नगर महामंदिर, जोधपुर।
04. श्री रमेश सिंह रावत, क्वालिटी एश्योरेंस, मैनेजर, नोमिनी, (नोमिनी) मैसर्स हिन्दूस्तान कोकाकोला बेवरेंज प्रा.लि. एस.पी. 39–40 रिको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, चौमू, राज।
05. मै. हिन्दुस्तान कोकाकोला बेवरेज प्रा.लि. एस.पी. 39–40, रिको इण्स्ट्रीयल ऐरिया, कालाडेरा, चौमू, राज. (निर्माता फर्म)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर